रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 1999/अग्रहायण 9, 1921
No. 264] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 1999/AGRAHAYANA 9, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध-शुल्क महानिदेशालय)

आरंभिक अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1999

विषय : चीनी पी आर मूल के या वहाँ से निर्यातित 8-हाइड्रोजाईक्वीनोलाइन पर लगाए गए पाटनरोधी सीमा-शुल्क की समीक्षा का आरंभ।

सं० एडीडी/आई डब्ल्यू/36/95-96.—सीमा-शुल्क टैरिफ (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1982 और उसकी सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, पाटित वस्तुओं पर सीमा-शुल्क या अतिरिक्त सीमा-शुल्क का समाकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1985 को ध्यान में रखते हुए नामनिर्दिष्ट अधिकारी ने (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) चीन पी आर मूल के या वहां से निर्यातित 8-हाइड्रोजाईक्वीनोलाइन के निर्यातों पर निश्चित पाटन-रोधी सीमा-शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

1. **विचाराधीन उत्पादः**- विचाराधीन उत्पाद 8-हाइड्राजाईक्वीनोलाइन है, जो चीन पी आर मूल का ,तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के सीमा-शुल्क शीर्ष 2933.40 के अंतर्गत एवं भारतीय व्यापार वर्गीकरण (समांगीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग पद्धति) के अंतर्गत सं0 2933.40.04 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान समीक्षा के दायरे पर बाध्यकर नहीं है ।

2. **पाटन रोधी जाँच का आरंभः**- सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सिफारिश किए गए पाटन-रोधी सीमा-शुल्क लगाए रखने की आवश्यकता की समय-समय पर जॉच करना, प्राधिकारी के लिए, जरूरी है ।अतः नाम-निर्दिष्ट प्राधिकारी मानता है कि, प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 197, तारीख 12 नवम्बर, 1996 द्वारा लगाए गए पाटन-रोधी सीमा-शुल्क की इस अवस्था मे समीक्षा की जानी चाहिए ।

3. अधिसूचना सं0 एडीडी/आई डब्ल्यू/36/95-96, तारीख 28 फरवरी, 1997 द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों की समीक्षा का निश्चय कर लेने पर प्राधिकारी एतद्द्वारा, सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर सीमा-शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निधार्रण) नेयमावली, 1995 के अनुसार चीन पी आर मूल के या यहां से निर्यातित 8- हाइड्रोजाईक्वीनोलाइन के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी सीमा-शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा आरंभ करता है ।

4. यह समीक्षा, अधिसूचना सं. एडीडी/आई डब्ल्यू/36/95-96, तारीख 28 फरवरी, 1997 के सभी पहलुओं पर विचार करती है ।

5. **जाँच की अवधि:-** वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जाँच की अवधि, 1 अप्रैल, 1998 से 31दिसम्बर,1999 तक की है।

6 निश्चित पाटन-रोधी सीमा-शुल्क लगाने की उक्त संदर्भित अधिसूचना में मै0 वैस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फाइटोकैमिकल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., कलकत्ता को स्वदेशी उद्योग माना गया है । प्राधिकारी, पूर्वोक्त नियमों के अनुसार मै. वैस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फाइटोकैमिकल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., कलकत्ता को स्वदेशी उद्योग के रुप में मानने का प्रस्ताव करता है

7 **सूचना देना:-** ज्ञात संबंधित निर्यातक तथा आयातक एवं स्वदेशी उद्योग को अलग से सूचना दी जा रही है ताकि वे सभी संबंधित सूचना निर्धारित रूप और ढंग से दे सकें । अन्य कोई हितबद्ध पार्टी यदि वर्तमान जाँच में भाग लेना चाहे तो वह निम्निलिखित को लिख सकती है -

नाम-निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटन-रोधी एवं सम्बद्ध सीमा-शुल्क महा निदेशालय,
वाणिज्य मंत्रालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली- 110 011

8. **समय-सीमा:-** इस जांच से संबंधित सभी सूचना प्राधिकारी के पास लिखित रूप में उपरोक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों से अनधिक के भीतर पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी, पूर्वोकत नियमों के अनुसार, अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलेखित कर सकता है।

9. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:-** नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी, अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ्यांशों की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है ।

10. यदि कोई भी हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करती है या एक उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण रूप से जाँच में रूकावट डालती है तो प्राधिकारी, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकार्ड कर सकता है और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उपयुक्त समझता है ।

रति विनय झा, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1999

Subject : Initiation of review of anti-dumping duty imposed on 8-Hydroxyquinoline originating in or exported from People's Republic of China.

No. ADD/IW/36/95-96.—The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) having regard to the Customs Tariff (Second Amendment) Act, 1982 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1985 thereof recommended imposition of definitive Anti-Dumping Duty on imports of 8-Hydroxyquinoline originating in or exported from China PR vide Notification No. ADD/IW/36/95-96 dated 28th February, 1997.

1. Product Under Consideration: The product under consideration is 8-Hydroxyquinoline is classified under custom heading 2933.40 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975.and No. 2933.40.04 under Indian Trade Classification (Based on Harmonized commodity Description and coding System) originating from the People's Republic of China. The classification is, however, indicative only and is not binding on the scope of the present review.

2. Initiation of Anti-Dumping Investigation: The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the rules made thereunder require the Authority to review, from time to time, the need for the continued imposition of Anti Dumping Duty. The Designated Authority, therefore, considers that the Anti Dumping Duty imposed by the Central Government in pursuant to the recommendations made by the Authority vide notification cited above need be reviewed at this stage.

3. Having decided to review the final findings notified vide notification no. No.ADD/IW/36/95-96 dated 28th February, 1997, the Authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of the anti-dumping duty on imports of 8-Hydroxyquinoline originating in or exported from China PR accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995.

4. This review covers all aspects of Notification No. ADD/IW/36/95-96 dated 28th February, 1997.

5. Period of investigation: The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 1999 to 31st December, 1999.

6. M/s West Bengal Pharmaceutical & Phytochemical Development Corporation Limited, Calcutta, considered as the domestic industry in the above-referred notification of imposition of definitive anti dumping duty. The authority proposes to consider M/s West Bengal Pharmaceutical & Phytochemical Development Corporation Limited, Calcutta as the domestic industry in accordance with the Rules supra.

7. Submission of information: The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

THE DESIGNATED AUTHORITY

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING & ALLIED DUTIES
MINISTRY OF COMMERCE
UDYOG BHAWAN, NEW DELHI – 11 00 11

8. Time Limit: All information relating to this review should be send in writing so as to reach the Authority at the above address not later then 40 days from the date of

publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete; the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. Inspection of Public File: In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

10. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

3489 GI/99-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.